

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

10 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन “केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व” संसद में प्रस्तुत

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से निहित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017 का प्रतिवेदन संख्या 3) दिनांक 10 मार्च 2017 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर ₹ 178.68 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ वाली 93 अभ्युक्तियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 132.13 करोड़ के राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया था तथा ₹ 30.44 करोड़ की वसूली की सूचना दी (दिसम्बर 2016)। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :

अध्याय I: राजस्व विभाग-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वि.व 15 की तुलना में वि.व 16 में 52 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई।

(पैराग्राफ 1.7)

- वि.व 16 के दौरान, पेट्रोल और उच्च गति डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क में वृद्धि।

(पैराग्राफ 1.8)

- उत्पाद शुल्क के संबंध में वि.व 16 में छोड़ा गया राजस्व ₹ 2,24,940 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹ 2,05,940 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूट के रूप में ₹ 19,000 करोड़) था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 78.34 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 1.11)

- ₹ 92,162 करोड़ की बड़ी राशि का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व विभिन्न स्तरों पर मुकदमों के अधीन है। यह राशि प्रति वर्ष बढ़ रही है।

(पैराग्राफ 1.21)

अध्याय II: बकाया की वसूली

- 2012-13 की तुलना में 2014-15 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, पिछले तीन वर्षों में बकाया की वसूली में गिरावट देखी गई। चेन्नई-1 कमिश्नरी- में बकाया में 387.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(पैराग्राफ 2.7)

- 12 कमिश्नरियों के तहत नमूना जांच किए गए 37 मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के अन्तर्गत वसूली की कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.87 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.8.2)

- चार कमिश्नरियों में ₹ 137.81 करोड़ के राजस्व वाले 2 से 10 वर्षों से लम्बित नमूना जांच किए गए 23 मामलों में, जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन दर्ज नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 2.8.3)

- ऐसे मामलों, जिनमें विभागीय प्रयासों द्वारा कोई वसूली नहीं होती है, को वसूली सैलों में हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है जो चूककर्ता की सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली की कार्रवाई करने के लिए सशक्त है। 2014-15 के दौरान 23 कमिश्नरियों में वसूली सैलों को कोई मामला हस्तांतरित नहीं किया गया था, ₹ 18,700.27 करोड़ की राशि वाले 15,388 मामले वसूली हेतु लम्बित थे। मामलों को हस्तांतरित न करने से न केवल वसूली सैल व्यर्थ हुए किन्तु बकाया का संचयन हुआ और उसकी कम वसूलियां हुई।

(पैराग्राफ 2.8.6)

- बोर्ड ने 2004 में एक केन्द्रीकृत कार्य बल (सीटीएफ) का गठन बकायों की वसूली में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठनों के प्रयासों के समन्वय, सुविधा जनक बनाने, निगरानी और निरीक्षण हेतु किया था। हमने पाया कि यद्यपि कार्य बल को बकायों की वसूली हेतु नीतियों को अन्तिम रूप देने और कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया था किन्तु इसने बकायों की वसूली के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। मार्च 2015 तक ₹63,925.42 करोड़ के कुल बकायों में से, ₹44,747.82 करोड़ ₹1,485.15 करोड़ और ₹77.07 करोड़ के बकायों के मामले क्रमशः सेसटेट, आयुक्त (अपील), और निपटान आयोग के पास लम्बित थे, जो वसूली के लिए कुल बकायों का 72.44 प्रतिशत बनता है।

(पैराग्राफ 2.11.1)

अध्याय III: आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा ने 750 निर्धारित मास्टर फाइलों (एएमएफ) और 1125 आन्तरिक लेखापरीक्षा फाइलों (आईएएफ) की मांग की थी जिनमें से हमें क्रमशः 565 एएमएफ और 1039 आईएएफ प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान पांच कमिशनरियों ने लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर, लेखापरीक्षा अनुवर्ती कार्रवाई रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया। एक विंग जो कि अनुपालन सत्यापन तंत्र का आधार है द्वारा अभिलेखों का घटिया अनुरक्षण विभाग की घटिया कार्य पद्धति को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 3.6)

- लेखापरीक्षा ने, ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट 331 एवं 241 दिनों की देरी से जारी करने के दो मामले तथा अंतिम रिपोर्ट 589 एवं 206 दिनों की देरी से जारी करने के दो अन्य मामलें देखे।

(पैराग्राफ 3.9.3 एवं 3.9.5)

- लेखापरीक्षा ने, आठ कमिशनरियों में पाया कि कुल 580 आन्तरिक लेखापरीक्षा फाइलों में से, 434 फाइलों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के मूल्यांकन के लिए कोई

स्कोरिंग नहीं की गई थी। तीन कमिश्नरियों में किसी भी आन्तरिक लेखापरीक्षा फाइल में कोई स्कोरिंग नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 3.9.4)

अध्याय IV: नियमों और विनियमों का अननुपालन

- लेखापरीक्षा ने, सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ और उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के गैर/कम भुगतान के 35 मामले देखे जिनमें ₹ 73.99 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 4.1)

अध्याय V: आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा ने, विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमियों और अन्य विषयों के 56 मामलों देखे जिनमें ₹ 104.68 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 5.1)